

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

App-Z
crim-I

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

किशोर सिंह

बनाम

शंकर सिंह

वाद-पत्र

नं०

23

सन् 2023

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इसमें
जारी हुए

पत्रावली पेशा हुई। वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी व वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समथ पर तीन बार अलग-अलग समथ पर आवाज लगाई गई बावजूद वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में वाद-पत्र में वादी की ओर से वैरवी हेतु उपस्थित नहीं होने से पत्रावली इसी स्तर पर अदम हाजिरी व अदम वैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली कैसल कुमार लेकर दर्ज रजिस्ट्रर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चिह्नोद्धार)

